



2  
₹=00

## केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
$\frac{146}{16-6-18}$	16-6-18	16-6-18	



न्यायालय उपजिलाधिकारी, सैदपुर गाजीपुर  
वाद संख्या- 083 धारा-80 यू0पी0आर0सी0  
मौजा-भभौरा, परगना-सैदपुर  
बालाजी कालेज बनाम सरकार  
निर्णय

प्रस्तुत कार्यवाही बालाजी कालेज भभौरा, औड़िहार, गाजीपुर अध्यक्ष रामपलट यादव पुत्र श्री चमरु यादव निवासी ग्राम- भभौरा, परगना- सैदपुर, जनपद- गाजीपुर ने सरकार को बतौर विपक्षी बताते हुए मौजा-भभौरा, परगना-सैदपुर स्थित आराजी संख्या 377 कुल रकबा 1.0320 हे0 को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ आबादी घोषित करने हेतु धारा-80 यू0पी0आर0सी0 के अन्तर्गत दाखिल किया। प्रार्थना पत्र की जांच आख्या तहसीलदार दिनांक 15.06.2018 को प्राप्त हुई।

मैने पत्रावली एवं जाँच आख्या तहसीलदार दिनांक 15.06.2018 का अच्छी प्रकार से अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उद्धरण खतौनी 1423 से 1428 फसली के खाता सं0 00004 के आ0सं0 377 कुल रकबा 1.0320 हे0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो।

तहसीलदार ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया है कि आराजी का उपयोग कृषि कार्य में न होकर आबादी के रूप में हो रहा है। कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु प्रयोजनार्थ प्रख्यापित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या तहसीलदार उक्त के आधार पर पुष्टिकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आख्या तहसीलदार दिनांक 15.06.2018 की पुष्टि की जाती है, और मौजा - भभौरा, परगना सैदपुर, स्थित आराजी संख्या 377 कुल रकबा 1.0320 हे0 को कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु प्रयोजनार्थ प्रख्यापित किया जाता है। वाद अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक - 15-6-2018



उपजिलाधिकारी 15.6.18  
सैदपुर-गाजीपुर

आज का निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं घोषित।

न्यायालय कार्या - 15  
मिलान कार्या - 15  
कुल संख्या - 210



उपजिलाधिकारी 15.6.18  
सैदपुर-गाजीपुर

पेशाना  
उपजिलाधिकारी  
16-8-18